<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्द्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> (समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 388/2012 संस्थित दिनांक 05.09.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी, जिला बडवानी, मध्यप्रदेश

– अभियोगी

वि रू द्व

विजय पिता भारत वास्कले, उम्र 25 वर्ष, निवासी रूपखेडा थाना ठीकरी,जिला बडवानी

अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी अभियुक्त द्वारा अभिभाषक — श्री आर. के. श्रीवास

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 16-03-2017 को घोषित)

- 01— पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 148 / 2012 के आधार पर आरोपी के विरूद्ध दिनांक 26.07.12 को दिन के लगभग 03:30 बजे बरूफाटक, बायपास, फोरलाईन लोक मार्ग पर वाहन द्रक क. एम.एच. 04 एफ.जे. 7827 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर राकेश की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के लिए भादवि की धारा 304—ए का अभियोग है।
- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष ने मृतक राकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 11 भी सही होना स्वीकार की है। इस प्रकार राकेश की मृत्यु होना भी स्वीकृत है।
- 03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.07.12 को फरियादी दीपेन्द्र ने थाना ठीकरी इस आशय की सूचना दी कि वह ग्राम निवाली रहता होकर हाईवे एम्बुलेंस बरूफाटक पर डॉक्टर है आज वह बरूफाटक में फोर लाईन बायपास पर वह डॉक्टर प्रकाश के साथ एम्बुलेंस में जा रहा था तभी ठीकरी तरफ से एक द्रक क. एम.एच. 04 एफ.जे. 7827 का चालक अपने वाहन तेजी व लापरवाही से चलाते हुऐ लाया और मोटरसाईकिल क. एम.पी. 09 एम.यू. 9446 के चालक को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाईकिल चालक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा द्रक चालक द्रक को घटना स्थल पर ही छोड़कर भाग गया। उक्त फरियादी की सूचना के आधार पर थाना ठीकरी पर अपराध कमांक 148/2012 दर्ज कर, आरोपी को गिरफ्तार कर, द्रक व दस्तावेज जप्त किये गये, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारीमहोदय द्वारा

अभियुक्त को भादिव की धारा 304—ए के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर उसकी विशिष्ठियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :--

क्र.	विचारणीय प्रश्न				
(i)	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 26.07.12 को दिन के लगभग 03:30 बजे बरूफाटक, बायपास, फोरलाईन लोक मार्ग पर वाहन द्रक क. एम.एच. 04 एफ.जे. 7827 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर राकेश की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?				

- विचारणीय प्रश्न पर (i) सकारण निष्कर्ष -

06— उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में डॉ. दीपेन्द्र सोलंकी (अ.सा.1) उसने कोई दुर्घटना नहीं देखी थी, पुलिस ने उसे फोन पर बताया था कि बरूफाटक बायपास फोरलेन पर दुर्घटना हुई है तो वह दुर्घटना स्थान पर पहुंचा तो उसने दखा कि एक मोटरसाईकिल की दुर्घटना हो गई थी और मोटरसाईकिल चालक की मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि द्रक क. एम.ए. 04 एम.जे. 7827 के चालक ने द्रक को तेज गित एवं लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल क. एम. पी. 09 एम.यू. 9446 के चालक को टक्कर मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। यहा तक कि साक्षी ने घटना की रिपोर्ट कराने से भी इंकार किया है।

07— महेश यादव (अ.सा.2) एवं प्रदीप कुमार (अ.सा.3) ने उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तथा न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर भी न्यायालय के सभी सुझावों से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में दोनों साक्षियों ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने घटना होते हुए नहीं देखी तथा घटना कारित करने वाले वाहन को भी नहीं देखा था। प्रदीप कुमार (अ.सा.3) ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने दबे हुए व्यक्ति को दृक के नीचे नहीं देखा था।

08— रामेश्वर (अ.सा.4) ने राकेश की बरूफाटक में दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में और उसकी लाश का सफीना फार्म प्रदर्श पी 7 और नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी 8 बनाने के संबंध में कथन किया है। अशोक वर्मा (अ.सा.5) ने दि. 26.07. 12 को थाना ठीकरी के अपराध क. 148/12 में जप्त द्रक क. एम.ए.04 एम.जे. 7827 का यांत्रिकीय परीक्षण कर उसे चालू अवस्था में होना और उसमें कोई भी तकनीकी त्रुटी नहीं होने के संबंध में परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 9 प्रमाणित किया है।

09— रणजीतिसंह (अ.सा.६) का कथन है कि वर्ष 2012 में उसके पास द्रक क. एम.ए.04 एम.जे. 7827 था जो ठीकरी थाने पर जप्त किया था। उसके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। उसे नहीं मालूम कि उक्त वाहन को कौन चालक चला रहा था। उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपी को घटना दिनांक को द्रक चालक के रूप में रखा था अथवा आरोपी ने उसे फोन करके बताया था कि द्रक की दुर्घटना बरूफाटक में हो गई है। यहां तक की साक्षी ने पुलिस को प्रदर्श पी 10 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10— मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.7) का कथन है कि उसने थाना ठीकरी के अपराध क. 148/12 की विवेचना के दौरान महेश की निशांदेही से प्रदर्श पी 4 का नक्शा मौका बनाने, घटना स्थल से द्रक क. एम.ए.04 एम.जे. 7827 जप्त करने, आरोपी के पेश करने पर उक्त द्रक के दस्तावेज और चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्श पी 13 के अनुसार जप्त करने तथा साक्षीगण के कथन उनके उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव सें इंकार किया है कि उसे साक्षीगण ने कोई कथन नहीं दिया था अथवा किसी साक्षी ने उसे वाहन का नम्बर और चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11— इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर द्रक क. एम.ए.04 एम.जे. 7827 को लोक मार्ग पर उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाने तथा उक्त द्रक की टक्कर मृतक राकेश की मोटरसाईकिल में मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। यहां तक कि डॉ दीपेन्द्र ने भी घटना की प्रथमसूचना रिपोर्ट तक लिखाने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरूद्ध उक्त अपराध या अन्य कोई भी अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा उसे उक्त अपराध या किसी अन्य अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किये जा सकते है।

12— अतः उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त विजय पिता भारत वास्कले, उम्र 25 वर्ष, निवासी रूपखेड़ा थाना ठीकरी,जिला बड़वानी को भादवि की धारा 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

13— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा द्रक क. एम.ए.04 एम.जे. 7827 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी / सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर मय कागजात के है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

-सही-(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र. -सही-(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.